कार्यालय हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

पत्रांकः 1678 /प्रशा0 2(क) 22/87/2022–23 दिनांकः 24/05/ 2023

01. अधिशासी अभियन्ता।
02. समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता।
03. मानचित्रकार/सर्वेयर/समस्त सहायक।
04. पंजीकृत समस्त अभियन्ता/मानचित्रकार।

कार्यालय हरिद्वार एवं शाखा रूडकी
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग–2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 108681/2023, देहरादून, दिनांक 23.03.2023 द्वारा **उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) में विद्युत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर** के सम्बन्ध में प्राविधान किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में सम्मिलित करते हुए संशोधित उपविधि प्रख्यापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसको शासन के उपरोक्त पत्र द्वारा उक्त उपविधि के प्राविधानों को प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित अंगीकृत कराने तथा यदि किसी प्राधिकरण को स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उपविधि में किसी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन /परिवर्द्धन की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित प्राधिकरणों से तद्विषयक संशोधन के प्रस्ताव को औचित्य सहित प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के साथ शासन को उपलब्ध कराने की आपेक्षा की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार शासन से प्राप्त **उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) में विद्युत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर** उपविधि के उक्त संशोधन **(मूल प्रति प्रशासनिक अधिकारी पटल पर उपलब्ध है तथा छायाप्रति व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड है)** इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त उपविधि के सम्बन्ध में अपने सुझाव/आपत्ति एवं मन्तव्य से अधोहस्ताक्षरी को 01 सप्ताह के अन्तर्गत लिखित रूप में अवगत कराना सुनिश्चित करें। ताकि प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत कर अंगीकृत कराते हुए शासन को अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

सचिव
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार

प्रतिलिपिः

1. उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त सचिव, शाखा कार्यालय रूडकी को सूचनार्थ।
3. मुख्य वित्त अधिकारी, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
4. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस निर्देश के साथ कि उक्त संशोधन को प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड पत्रावली।

सचिव

File No. HOUS2-MS/1/32/2022-V-2-Aawas Department (Computer No. 20120)
I/108681/2023
I/108681/2023

Secretary

4063
21/03/23

6
27/3/23
VC

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
ई–फाईल संख्या–20120
देहरादून, दिनांकः 23 मार्च, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) में विद्युत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के संबंध में प्राविधान किए जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार संशोधित उपविधि प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

A.O.

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय–समय पर यथासंशोधित) (जिसे यहां आगे उक्त उपविधि कहा गया है) के अध्याय–5 के बिन्दु सं0–5.6(III) एवं (V) पार्किंग मानक में निम्नलिखित प्राविधान अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात् :–

(V) एकल आवासीय भवनों को छोड़ते हुए, समस्त विद्यमान गैर आवासीय (यथा ग्रुप हाउसिंग, प्लाटेड, होटल, मोटल, मल्टीप्लेक्स, गेस्ट हाउस, लॉजेज तथा अन्य गैर आवासीय भवन इत्यादि) भवनों में (1500 वर्गमी0 से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल में) कुल स्वीकृत पार्किंग ECS Bay में से 03 प्रतिशत ECS Bay पर अथवा 1 ECS Bay जो भी अधिक हो, में 2 wheeler तथा 2 प्रतिशत अथवा 1 ECS Bay जो भी अधिक हो, में 4-Wheeler Electric Vehicle Charging Infrastructure की व्यवस्था सार्वजनिक सूचना से 06 माह के भीतर किया जाना आवश्यक होगा।

Secretary 10/4/2023

Sh. Rohit

11/04/2023
AO

नोट :–

(क) ECS का तात्पर्य Equivalent Car Space.

(ख) 1 ECS Bayका तात्पर्य एक कार हेतु अपेक्षित क्षेत्रफल जो NBC-2016 अनुसार 2.75 मी0 X 5.00 मी0 है।

(ग) 1 ECS Bay में दो 2– wheeler का प्राविधान किया जा सकेगा।

2– उक्त उपविधि के अध्याय–5 के बिन्दु सं0–5.6(III) में प्रस्तर (V) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् : –

(vi) विद्यमान आवासीय भवनों में इसका प्राविधान किया जाना श्रेयस्कर होगा

तथा ग्रुप हाउसिंग के प्रकरणों में Resident Welfare Association (RWA)द्वारा परियोजना की मांग अनुसार प्रावधान किया जा सकेगा।

(vii) प्रस्तावित समस्त प्रकार के नवनिर्माण, जो 1500 वर्गमी0 से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल में प्रस्तावित हो, में (एकल आवासीय को छोड़कर) स्वीकृत पार्किंग ECS के न्यूनतम 10 प्रतिशत ECS (Municipal Corporations Townsमें) एवं 05 प्रतिशत ECS (Other Towns में) अथवा 1 ECSजो भी अधिक हो, पर Electric Vehicle Charging Infrastructure सुविधा की व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी। कुल Electric Vehicle Charging Bayमें 60:40 के अनुपात में 2 -wheeler तथा 4-wheeler की चार्जिंग सुविधा की व्यवस्था की जायेगी।

उदाहरणार्थ – 20 ECS स्वीकृत पार्किंग बे का 10 प्रतिशत, जो 02 ECS है, का 60:40 के अनुपात में आगणन किया जाता है तो एक ECS Bay में दो 2-wheeler तथा दूसरे ECS Bay में एक 4-wheeler हेतु Electric Vehicle Charging सुविधा की व्यवस्था की जायेगी।

3– उक्त उपविधि के अध्याय–7 के बिन्दु सं0–7.14 में खण्ड (ix) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :

(x) Stand Alone Public Charging Station (PCS) :-

i- पहुँच मार्ग एवं स्थल की अवस्थिति Filling Station हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार होगी।

ii- PCSका भूखण्ड क्षेत्रफल न्यूनतम 100 वर्गमी0 होगा, जो टू–व्हीलर Charging Station हेतु संबंधित कम्पनी के मानक अनुसार घटाया जा सकेगा। उक्त क्षेत्रफल में वाहन के सुचारू आवागमन एवं मुख्य मार्ग पर प्रवेश/निकास बिन्दु (Entry/Exit Points) तथा मार्ग के किनारे प्रतीक्षा पंक्ति (Waiting Que) न हो, का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

Signed by Rajendra Singh Patiyal
Date: 22-03-2023 18:02:20

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2–स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3–आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
4–उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून/

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त उपविधि को सम्बन्धित प्राधिकरण अपने बोर्ड से स्वीकृत कराते हुए अंगीकृत करेंगे। यदि किसी प्राधिकरण को स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उपविधि में किसी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन/परिवर्द्धन की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित प्राधिकरण तद्विषयक संशोधन के प्रस्ताव को औचित्य सहित प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के साथ शासन को उपलब्ध करायेंगे।

5–संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

6–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

7–निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि प्रश्नगत उपविधि को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में 100 प्रतियाँ मुद्रित करते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

8–निजी सचिव, मा० आवास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

9–गार्ड फाईल।

File No. HOUS2-MS/1/32/2022-V-2-Aawas Department (Computer No. 20120)

I/108800/2023

I/108800/2023

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. /HOUS2-MS/1/86/2022-V-2-Awas Department, Dated: March, 2023** for general information

Government of Uttarakhand
Housing Section-2
E-File Number –20120
HOUS-2MS/1/86/2022-V-2-Awas Department
Dehradun: Date 23 March, 2023

In exercise of the powers conferred under section 57 of the Uttarakhand Urban Planning and Development Act, 1973, to further amend the building bye laws, 2011(as amended time to time), for including the provisions of electric charging infrastructure, the Governor is pleased to promulgate to following amended bye laws as under:-

In point no. 5.6 (III) (v) "Parking Standards" of chapter-5 of Building Construction and Development Byelaws/ Regulations 2011 (as amended from time to time) (hereinafter referred to as the said Byelaws) the following provision shall be inserted, namely :-

(V) Excluding single residential unit, in all existing non residential building (Group Housing, Plotted, Hotel, Motel, Guest Houses, Lodges and other non residential building etc.) (more than 1500 sq. m plot area), out of total approved ECS Bay parking, 3% of ECS Bay or 1 ECS Bay, whichever is higher, on two wheeler and 2% or one (1) ECS Bay, whichever is higher, for 2- wheeler and 2% or 1 ECS bay, whichever is higher, for 4-wheeler Electric Vehicle Charging infrastructure will be required to be made within 06 months from the public notice.

Note

a. ECS means: Equivalent Car Space.
b. 1 ECS Bay means the area required for one car which is 2.75mX 5.00m as per NBC – 2016
c. One ECS Bay can accommodate two 2-wheelers.

2- In point no. 5-6 (III) of chapter-5 of the said Byelaws, after clause (V) the following clause shall be inserted, namely :-

(VI) It will be appreciable to make its provisions in existing residential buildings and in case of group housing; provision can be made by the Resident Welfare Association (RWA) according to the demand of the project.

(VII) In all types of proposed new construction, which is proposed in plot area of more than 1500 square meters, (except single residential) Minimum 10% of approved ECS Bays (in Municipal Corporations Towns) and 5% of the approved ECS Bays (in other Towns) or 1 ECS, whichever is more, it will be necessary to make provision for Electric Vehicle Charging Infrastructure facility on same. Charging facility of 2- wheeler and 4- wheeler shall be provided in the ratio of 60:40 in the total Electric Vehicle Charging Bay.

For example, 10% of 20 ECS approved parking bay, which is 02 ECS. If the ratio of 60:40 is calculated, then Electric Vehicle Charging Facility shall be provided for two 2- wheelers in one ECS Bay and one 4- wheeler in the other ECS Bay.

3 - In point no. 7.14 of Chapter-7 of the said Byelaws after clause (ix), the following clause shall be inserted, namely:-

(x) Stand Alone Public Charging Station (PCS) :-

1. The access road and the location of the site will be as per the standards prescribed for the filling station.
2. The plot area of PCS will be minimum 100 square meters, which can be reduced according to the standard of the concerned company for 2- wheeler charging station. Special care will be taken for the smooth movement of vehicles in the above area and entry/exit points on the main road and waiting queue should not be on the side of the road.

Signed by Rajendra Singh Patiyal
Date: 23-03-2023 11:41:50

(Rajendra Singh Patiyal)
Joint Secretary

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. **Additional Chief Secretary, Honorable Chief Minister, Government of Uttarakhand.**
2. **Staff Officer, Chief Secretary, Government of Uttarakhand.**
3. **Commissioner, Garhwal Mandal Parui/ Kumaon Mandal, Nainital.**
4. **Vice-Chairman, Mussoorie Development Development Authority, Dehradun/ Haridwar-Roorkee Development Authority, Haridwar/ Vice-Chairman, All District Level Development Authority, Uttarakhand with the intention that concerned authorities will adopt the above byelaws after getting approval from their board. If any authority needs and kind of amendment/change /addition in the byelaws in view of local needs and circumstances, then in such a situation, the concerned authority will make the proposal of amendment with justification available to the government with the approval of the board of authority.**
5. **Joint Chief Administrator, Uttarakhand Housing and Urban Development Authority, Dehradun.**
6. **Chief Town and Country Planner, Town and Country Planning Department, Uttarakhand, Dehradun.**
7. **Director, Government press, Roorkee, Haridwar, Uttarakhand with the intention to print the said Byelaws in the legislative addendum of the extraordinary gazette and make available 100 copies to the government.**
8. **Personal Secretary to Hon'ble Minister for the kind notice of Hon'ble Minister.**
9. **Guard file.**